40–(08)–39–2016

पटना में दिनांक–09 अगस्त, 2016 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

सामान्य प्रशासन विभाग

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस०एल०पी० नं०–204/2010 मिर्जा आरिफ रजा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा इससे उत्पन्न सिविल अपील सं० 857/2016 में दिनांक–03.02.2016 को पारित आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. श्री मनोज कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1078/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, तरैया, सारण सम्प्रति बर्खास्त के द्वारा बर्खास्तगी के विरूद्ध पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4462 दिनांक–28.03.2016 के द्वारा अधिरोपित दंड "सेवा से बर्खास्तगी" को पूर्ववत् बरकरार रखने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित आवेदन–पत्रों की स्क्रूटनी एवं शैक्षिक अंकों की गणना करने वाले विशेषज्ञों के मानदेय/पारिश्रमिक की दर स्वीकृत करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

4. पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री रामाशीष पाण्डेय, सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के लिए अधीक्षण अभियंता (असैनिक) का एक छाया पद (दिनांक–14.07.2000 से 31.07.2002 तक के लिए) सृजित करने एवं श्री पाण्डेय को दिनांक–14.07.2000 के भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति देने के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

5. पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री रामकेश्वर राम, सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के लिए अधीक्षण अभियंता (असैनिक) का एक छाया पद (दिनांक–08.11.1988 से 30.09.2002 तक के लिए) सृजित करने एवं श्री राम को दिनांक–08.11.1988 के भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति देने के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

वित्त विभाग

6.	बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के समादेष्टा संवर्ग के वेतनमान के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

वाणिज्य--कर विभाग

7.	डीजल एवं पेट्रोल के कर की दरों में वृद्धि करने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8.	सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर परिषद को नगर निगम घोषित करने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

10.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं एवं उनसे उद्भुत अवमाननावाद के मामलों में बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाये वेतनादि एवं सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 1,34,41,000.00 (एक करोड़ चौंतीस लाख एकतालीस हजार) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।	10.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

11.	'गुटरूँ–गुटरगूँ' हिन्दी चलचित्र को मनोरंजन कर से विमुक्त करने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

12.	बिहार राज्य के जिलों में भूकम्परोधी घरों के निर्माण तथा पुराने घरों के रेट्रो फीटिंग के लिए नागरिकों को तकनीकी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने संबंधी विशेष सेल के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

विधि विभाग

13.	राज्य के ग्यारह न्यायमंडलों के लिए कुल 28 गाड़ियों के क्रय हेतु 2,52,00,000/–(दो करोड़ बावन लाख) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. राज्य के विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के पुस्तकालय सहायक, शौर्टर, पत्राचार लिपिक एवं दिनचर्या लिपिक जो मूल स्वीकृत पद पर विहित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विधिवत रूप से नियुक्त होकर नियमित रूप से कार्यरत हों को 01.01.1996 से वैचारिक रूप से रू० 4000–6000/–का वेतनमान एवं 01.04.1997 के प्रभाव से उक्त वेतनमान का आर्थिक लाभ प्रदान करने एवं तद्नुसार वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. डा० उदय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, नीमचक बथानी, गया को दिनांक–17.06.2003 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — **15. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

16. डा० जरीना प्रवीण, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, चौसा, बक्सर को दिनांक–05.07.2010 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव। — **16. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

17. डा० सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन चि० पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र, खड़गपुर, मुंगेर को जुलाई–2002 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — **17. स्वीकृत।**